उत्तर प्रदेश शासन,
पर्यटन अनुभाग
संख्या-33/2022/आई/130616/ 41-1002(001)/40/2021-212(बजट)/2021
लखनऊ:: दिनांक 09 जनवरी, 2022

शुद्धि-पत्र

जनपद आजमगढ के तहसील-बुढनपुर, वि0ख0-कोयलसा, ग्राम/शहर-वाजिदपुर गोपालगंज में स्थित बरूआ दास कुटी के पोखरे के विकास हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में जारी शासनादेश संख्या-656/2021/आई/115866/41-1002(001)/40/2021-212(बजट)/2021, दिनांक 23.11.2021 के पृष्ठांकन-05 में अंकित मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन, लखनऊ के स्थान पर मुख्य कोषाधिकारी, गोरखपुर तथा पृष्ठांकन-11 में अंकित क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, गोरखपुर/आजमगढ मण्डल, गोरखपुर के स्थान पर क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी, गोरखपुर अंकित किया जाता है।

2- तदनुसार सन्दर्भगत शासनादेश दिनांक 23.11.2021 संशोधित समझा/पढा जाय। शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

(गिरिजापति द्विवेदी)
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार तीयद्वि/प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखातीयद्वि/प्रथम (परीक्षा-, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. जिलाधिकारी आजमगढ।
4. निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता,ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, गोरखपुर।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, आजमगढ।
7. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8. श्री दिनेश कुमार, उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया क्रमांक-3, 4, 5, 6, 7, 10 व 11 को अपने स्तर से आदेश की प्रति प्रेषित करने का कष्ट करें।
9. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
10. अधिशाषी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, आजमगढ।
11. क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारीकारीतरण अधिआहरण वि/, गोरखपुर।
12. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजापति द्विवेदी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in